

प्रेस नोट
थाना बड़गाँव,झाँसी

दिनांक- 05.01.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- मा० न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिका के अनुपालन में अभियुक्तगण गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 04.01.2026 को थाना बड़गाँव पुलिस द्वारा मा० न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिका केश न0- 1341/2015 अ०सं० 183/14 धारा 279,337,338 भादवि थाना बड़गाँव झाँसी से संबंधित अभियुक्त दीपक यादव पुत्र स्व० मूरत सिंह निवासी ग्राम डिमरौनी थाना बड़गाँव जिला झाँसी उ०प्र०० उम्र 34 वर्ष व केस न0 911/2025 धारा 31 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम 2005 (मा०न्याया०एफ०टी०सी०/सी०ए०डब्लू झाँसी) से संबंधित अभियुक्त इंदल सिंह गौतम पुत्र बलवीर सिंह निवासी-ग्राम बिरगुवां थाना बड़गाँव जिला झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता वारणी अभियुक्त

- 1.दीपक यादव पुत्र स्व० मूरत सिंह निवासी ग्राम डिमरौनी थाना बड़गाँव जिला झाँसी उ०प्र०० उम्र 34 वर्ष
- 2.इंदल सिंह गौतम पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम बिरगुवां थाना बड़गाँव जिला झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1.उ०नि० श्री म०० हारून थाना बड़गाँव जिला झाँसी
- 2.उ०नि० श्री शिवशंकर प्रताप तिवारी थाना बड़गाँव जिला झाँसी
- 3.का० 1863 विकास कुमार थाना बड़गाँव जिला झाँसी
- 4.का०598 विक्रम नागा थाना बड़गाँव जिला झाँसी
- 5.आरक्षी चालक संदीप कुमार थाना बड़गाँव जिला झाँसी